

प्रेस नोट दिनांक-11.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अनुज दुबे

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब व 21 अदद क्वार्टर देशी शराब म0प्र0 निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी पंकज सिंह परिहार द्वारा कल्याण केन्द्र चौराहा से अभियुक्त रामबाबू कुशवाहा पुत्र पराग कुशवाहा निवासी रूलर मजरा सरहट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही आरक्षी राहुल दीक्षित द्वारा अभियुक्त भागवत प्रसाद आदिवासी पुत्र दिनेश आदिवासी निवासी कोल मजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 21 अदद क्वार्टर देशी सुपर मास्टर म0प्र0 निर्मित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60/63 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). आज दिनांक 11.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक

किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(4). दिनांक 10 जुलाई 2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर द्वारा थाना पहाड़ी एवं थाना रैपुरा के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। महोदय द्वारा लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं को शीघ्र गुण-दोष के आधार पर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री नागेंद्र कुमार नागर, प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी एवं विवेचकगण उपस्थित रहे।

(5). दिनांक-10.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह तथा उनकी टीम द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती रिकी उर्फ गुड़िया पत्नी जितेन्द्र सिंह निवासी रगौली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति जितेन्द्र सिंह पुत्र गोकुल प्रसाद उसके साथ लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करते है। महिला थाना प्रभारी एवं टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पति से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति द्वारा भविष्य में अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पत्नी के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। पति-पत्नी की आपसी सुलह होने पर महिला थाना प्रभारी द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

समझौता करवाने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह
2. आरक्षी नीतू द्विवेदी
3. आरक्षी अरविन्द कुमार
4. महिला आरक्षी श्वेता सिंह

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

(i). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 127/20 अ0सं0 18/20 धारा 60 आब0 अधिनियम के वारण्टी बब्बू बसोर पुत्र शिवमंगल बसोर नि0 ग्राम गोइयाखुर्द थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 58 वर्ष व मु0नं0 158/19 अ0सं0 84/19 धारा 60 आब0अधि0 से सम्बन्धित छेदीलाल पुत्र स्व0 रामओझल वर्मा नि0 ग्राम कलचिहा कालोनी बरगढ़ मोढ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 57 वर्ष को गिरफ्तार कर आज दिनांक 11/07/2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना बरगढ़
2. उ0नि0 सिद्धनाथ राय
3. आरक्षी शिवधनी
4. आरक्षी राहुल दीक्षित

(ii). उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 47/18 अ0सं0 58/17 धारा 379,411 भादवि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त ओमनारायण उर्फ ओमी पुत्र कमल नारायण निवासी बरियारी कला थाना मऊ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी अंकित सिंह
3. आरक्षी होलिकेंद्र

(iii). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 101/2015 धारा 379/411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त गुरुचरन पुत्र भोलाराम निवासी सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी बब्बूराजा
3. आरक्षी वेदप्रकाश

(iv). उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी बाबूलाल द्वारा मु0सं0 6348/14 धारा 279/337/338 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मटरू पुत्र चुनका निवासी कालूपुर पाही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(8). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी महिला चौकी मऊ उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी तथा उनकी टीम द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़ों को समाप्त कराकर 02 दम्पति जोड़ों में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री मती ऊषा देवी पत्नी देवनारायण निवासी नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा शान्ति देवी पत्नी मंगल निषाद नि0 बाबा कोटरा मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा महिला चौकी मऊ में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति उनके साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते है । महिला चौकी प्रभारी एवं टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पतियों से सम्पर्क करके उन्हें महिला चौकी बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । पतियों द्वारा भविष्य में अपनी- अपनी पत्नियों से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । 02 दम्पति जोड़ों में आपसी सुलह होने पर महिला चौकी प्रभारी द्वारा दोनो जोड़ों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें ।

समझौता करवाने वाली टीम:-

1. महिला चौकी प्रभारी मऊ उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी
2. महिला आरक्षी शिवानी राय